लोक प्रशासनः जुलाई–सितम्बर 2023

विशेषांकः संवैधानिक प्रजातंत्रः लोक केन्द्रित प्रशासन की बदलती भूमिका

लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा नियमों और कानूनों के साथ अनुकूलन और नियमन के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक कानून सकारात्मक, अपरिहार्य और व्यक्तिवादी है क्योंकि लोक केंद्रित प्रशासन में नियमों से अधिक भूमिकाओं पर जोर दिया जाता है। भूमिकाओं पर जोर देने से लोक केन्द्रित प्रशासन के छूटे हुए पहलू भी सलंग्न हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कानून व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित होतें हैं और राज्य द्वारा स्वीकृत होतें है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए कृत संकल्पित हैं। यद्यपि पहले मानव के अधिकारों के विचारों के साथ "कानून के शासन" के विचार को जोड़ना अवश्यम्भावी था तथापि संप्रभुंता की वैधानिकता का संदर्भ संवैधानिक प्रताजंत्र की लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। अनौपचारिक लोकाचार भी नागरिकों की मौलिक सोच जिसका संबंध औपचारिकता से हो, को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। शक्ति के संवैघानिक प्रयोग का सिद्धांत परोक्ष रूप से लोगों के संप्रभुता को एक छलावा मान कर चलता है। कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक इच्छा–निर्माण मानवीयता का उल्लंघन न करे तथा सकारात्मक रूप से बुनियादी अधिकारों के रूप में अधिनियमित रहे। यह समीक्षा का विषय है कि औपचारिक निर्णय प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों के साथ न्यायसंगत है या नहीं।

संवैधानिक प्रजातंत्र में संप्रभुंता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय की मुख्य रूप से विचारशील और क्रियाशील मूल्यपरक इकाईयों के रू‍प में जगह दी जाती हैं इन मूल्यों के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी अभिप्रेरित है। यह प्रेरक सूत्र संविधान की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति भी है। जब देश का सामान्य व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है, तब उसे समान अवसर प्राप्त होते हैं जो कि उनकी जीवन शैली में अर्थपूर्ण परिवर्तन लातें हैं जो उसे राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास कराता है। लोक केन्द्रित प्रशासन प्रणाली में गुणात्मक बुनियादी ढांचे की पहुँच हर तबके तक तब दृष्टिगोचर होती है जब प्रशासन मे ंलोक भागीदारी स्वतः बढ़ती है। सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है इसलिए, दोनों ही एक दूसरे के सम्पूरक हैं। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, एकता देश की सभी संस्थाओं की लक्ष्यपरक जिम्मेवारी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय विकास को बल मिले।

विगत् वर्षों में भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों को स्थापित व नियमित करने के लिए प्रश्न उठाए जाते रहें हैं। विशेष रूप से लोक केन्द्रित शासन व्यवस्था के विकास हेतु जवाबदेही, पारदर्शिता, नेतृत्व और नैतिकता जैसे मूल्यों पर बल दिया जाता रहा है। राज्य सुशासन सूचकांक से जिला सुशासन सूचकांक तक की यात्रा निर्देशकों के माध्यम से की जाती रही है। इसके अंतर्गत कृषि और संबंधित क्षेत्र, उद्योग तथा वाणिज्य, मानव सम्पदा विकास, स्वास्थ्य लोक सुविधाएँ, आर्थिक प्रबंधन एवं वित्तीय समावेशन, सामाजिक कल्याण एवं विकास, न्यायपालिका एवं लोक सुरक्षा, पर्यावरण एवं लोक केन्द्रित प्रशासन मुख्य घटक के रूप में जाने जाते हैं। लोक केन्द्रित प्रशासन के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त सुविधाओं पर उनकी फीडबैक का निष्पादन एक आवश्यक

शर्त है। यह भी विचारणीय है कि भारत एक बहुल संस्कृति वाला देश है जहाँ पर सामाजिक मूल्यों व विश्वासों में विविधता पाई जाती है। इन सामाजिक मूल्यों व विश्वासों में विविधता से कार्यपालिका द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले अनुप्रयोगों की संकलन व समीक्षा आवश्यक जान पड़ती है। राज्यों से बेहतरीन प्रशासन संबंधी अनुप्रयोगों का संकलन न केवल राष्ट्र निर्माण की अखंड विचार को संपोषित न केवल करता है बल्कि हाशिये पर आने वाली कार्य शैली को संजीवनी भी प्रदान करेगा।

निम्नलिखित विषयों पर आपके लेख आंमत्रित हैंः–

१. संवैधानिक प्रजातंत्र और समकालीन समाज में उभरते नए आयाम

२. लोक केंद्रित प्रशासन प्रणाली में शिकायतें और निराकरण

३. नागरिकों के फीडबैक का सामाजिक योजनाओं के परिष्करण में महत्व

४. जिला सुशासन सूचकांक और विभिन्न संख्यात्मक बिन्दु की स्थिति

५. जिला स्तर का प्रशासन और उपयोगी नवाचार

६. संविधान के प्रेरक सूत्र और लोक केन्द्रित प्रशासन व्यवस्था

७. जन और तंत्र में सम्मिलन: अब और तब

लेखकों से निवेदन है कि उपरोक्त या अन्य संबंधित मुद्दों पर अपना लेख 31 मार्च 2023 तक 4000 से 5000 शब्द सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित e-mail पर भेज दें। जिसके साथ 150 शब्दों का सार–संक्षेप भी अनिवार्य है। क्योंकि यह लेख अवलोकनार्थ समीक्षकों के पास भेजें जायेंगे तथा सभी लेखों का blind peer review होगा।

email: lokprashasan2008@gmail.com

पताः
सम्पादक (लोकप्रशासन)
डा0 साकेत बिहारी
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,
नई दिल्ली–10002